



**उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 111-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2020-18-पारे०अनु०-16/14

दिनांक: 12 फरवरी, 2020

**कार्यालय ज्ञाप**

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4829-औसं०/2018-66डब्ल्यू०बी०सी०/76, दिनांक 26.12.2018 को एतद्वारा अंगीकृत करते हुए उसकी अनुरूपता में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह प्रतिकर धनराशि का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०सं०	01.01.2016 से लागू सातवां वेतनमान की संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार	अनुग्रह प्रतिकर की धनराशि
1	लेवल-1 से लेवल-5	रु० 50,000/-
2	लेवल-6 से लेवल-9	रु० 1,00,000/-
3	लेवल-10 से लेवल-11	रु० 1,50,000/-
4	लेवल-12 एवं उससे ऊपर के वेतन मैट्रिक्स	रु० 2,00,000/-

उक्त अनुग्रह धनराशि कर्मचारी/अधिकारी के धारित पद के अनुरूप होगी, समयबद्ध वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरान्तरण से निर्धारण नहीं होगा। इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं०-5344-WC/SEB(AS-XIX)88-66-WBC/76, दिनांक 30.11.1988 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।


अनुग्रह प्रतिकर योजना का व्यय कारपोरेशन द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के आय-व्यय बजट से किया जायेगा। अनुग्रह प्रतिकर योजना की धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक(लेखा), तथा निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०) अधिकृत होंगे। यह आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की अनुरूपता में दिनांक 26.12.2018 से प्रभावी रहेगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

संख्या:- 111 (i)-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
8. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
9. वेब-साइट [www.upptcl.org](http://www.upptcl.org) पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

  
(अनिल पाठक)  
उप सचिव (पारेषण-111)